


सिंह बिधूड़ी

पूर्व विधायक



OFFICE OF UDM

By No. 2034

Date 15.11.2012

सर्वश्रेष्ठ विधायक
तीसरी विधान सभा, दिल्ली
पूर्व अध्यक्ष
हरियाणा वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन
(सरकार का उपक्रम)

PS to UDM

दिनांक : 03.05.2012

आदरणीय श्री कमलनाथ जी,

9/5/12
Pst to UDM

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले मीठापुर नगर निगम वार्ड एवं जैतपुर नगर निगम वार्ड को वर्ष 2010 में ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन नगर निगम वार्डों के गांव मीठापुर, गांव जैतपुर एवं गांव हरिनगर के हजारों निवासी लाल डोरा के अंदर भी अपनी निजी जमीन पर न तो अपने मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत तक करा सकते हैं। ये तीनों गांव सैकड़ों साल पुराने हैं।

साथ ही, उपरोक्त तीनों गांवों की खेती-बाड़ी की जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियों को भी ओ-जोन में सम्मिलित कर दिया गया था। ये अनधिकृत कॉलोनियों हैं : मीठापुर विस्तार सौरभ विहार, ओम नगर, साईं नगर, शिवपुरी सौरभ विहार, हरिनगर एक्सटेंशन, जैतपुर पार्ट-1 पार्ट-2 आदि। इन अनधिकृत कॉलोनियों में 90 से 95 प्रतिशत तक बिल्ट-अप एरिया है और सभी मकान निजी जमीन पर बने हुए हैं। ओ-जोन में आ जाने के कारण, इन कॉलोनियों में भी लोग अपनी निजी जमीन पर न तो मकान बना सकते हैं और न ही अपने मकानों की मरम्मत ही करा सकते हैं।

मैं बदरपुर विधान सभा क्षेत्र का 10 साल तक विधायक रहा हूँ और उक्त मीठापुर एवं जैतपुर वार्ड बदरपुर विधान सभा क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं। मेरे विधायक कार्यकाल में ये दोनों नगर निगम वार्ड रेजिडेंशियल जोन में आते थे। परंतु नए जोनल-प्लॉन में इन्हें ओ-जोन में डाल दिया गया है, जिसके कारण इन वार्डों के निवासियों को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों गरीब लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें अधिकतर कमजोर वर्ग के लोग हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि मीठापुर वार्ड एवं जैतपुर वार्ड के गांवों एवं अनधिकृत कॉलोनियों को ओ-जोन से निकलवाकर पुनः रेजिडेंशियल जोन में शामिल करवाने की कृपा करें। आभारी रहूँगा।

सादर,

भवदीय
(रामवीर सिंह बिधूड़ी)

श्री कमलनाथ जी,
माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

AS (UDM)

16/5
This is for
IB
FOR IB